



15*

Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ1949SGC000505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : Website: www.rsmm.com

क्रमांक:- आरएसएमएमएल/सीओ/प्रशा.9(17ए)/23-24/1018 दिनांक:- 22.02.2024

परिपत्र

विषय :- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यो के संबंध में निर्देश।

वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अ.शा.टीप सं. प.10(41)वित्त/व्यय-4 एवं सा.वि./2022 जयपुर दिनांक 22.12.2023 एवं समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 23.01.2024 एवं समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 09.02.2024 में दर्शाये गये बिन्दु संख्या 1 के (iv) एवं (v) के तहत विभागाध्यक्ष/सक्षम स्तर पर स्वीकृति जारी कर पूर्वानुसार ही कार्य किये जा सकेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार खटीक) आर.एस.
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अंनुपालनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सहायक, श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
4. समूह महाप्रबंधक-एसबीयू एण्ड पीसी-लाईमस्टोन/प्रमुख एवं प्रभारी, एसबीयू एण्ड पीसी-लिग्नाईट/जिप्सम/रॉक फॉस्फेट।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
6. उप महाप्रबंधक (आईटी), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर-संस्थान की वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।
7. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर
8. संबंधित पत्रावली/गार्ड पत्रावली।

22/2/24
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

विषय :- प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ :- समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 22.12.2023 एवं 23.01.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित अ.शा. टीप दिनांक 22.12.2023 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे तथा अ.शा टीप दिनांक 23.01.2024 के द्वारा इन निर्देशों में शिथिलता प्रदान की गई थी।

वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के द्वारा राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगे दिनांक 08 फरवरी 2024 को पारित की जा चुकी है। अतः उक्त के दृष्टिगत इस विभाग की संदर्भित अ.शा.टीप दिनांक 22.12.2023 में वर्णित कार्यों के संबंध में निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जाती है :-

1. निम्न सूची के लिये विभागाध्यक्ष/सक्षम स्तर पर स्वीकृति जारी कर पूर्वानुसार ही कार्य किये जा सकते हैं :-

- (i) रिपेयर/मेन्टेनेन्स से संबंधित कार्य
- (ii) कार्यालय व्यय (OE) मद से किए जाने वाले व्यय (नवीन आईटम के अतिरिक्त)
- (iii) 100% प्रतिशत CSS योजना के कार्य
- (iv) ग्रामीण एवं शहरी स्वायत्तशासी संस्थाओं के राज्य वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग/निजी आय से किये जाने वाले कार्य।
- (v) विभाग की नियमित/परिचालन गतिविधियों से संबंधित टेण्डर तथा दर संविदाएँ।
- (vi) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD) के कार्य
- (vii) DMFT के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य।

2. प्रशासनिक विभाग (विभागीय मंत्री महोदय) के अनुमोदन उपरान्त कराये जा सकने वाले कार्य:-

- (i) सीएसएस योजना के वह कार्य जिनमें भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है
- (ii) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित कार्य

उक्त से संबंधित कार्यों पर व्यय संशोधित बजट अनुमान 2023-24 / बजट अनुमान 2024-25 की अनुमत सीमा में ही करना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन कार्यों की पूर्व में ही वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाकर वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

100 प्रतिशत राज्य निधि से स्वीकृत अन्य कार्यों के संबंध में अ.शा. टीप दिनांक 22.12.2023 की अक्षरशः पालना में कार्य की पुनः समीक्षा उपरान्त जनहित की दृष्टि से औचित्यपूर्ण/अत्यावश्यक होने पर प्रकरण पूर्ण विश्लेषण के साथ गुणावगुण के आधार पर संबंधित माननीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त शिथिलन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किए जाएंगे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15.12.2023 के उपरान्त वित्त विभाग के अनुमोदन से जारी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों पर निर्देश दिनांक 22.12.2023 प्रभावी नहीं है।

(अखिल अरोरा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव विभाग